राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

संoसंo— 1/स्थाo—54/2018—

पटना, दिनांक :..................

कार्यालय आदेश

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक संख्या—626 दिनांक—27.06.2018 के द्वारा भूदान यज्ञ समिति को विघटित कर दिया गया है एवं विघटन अवधि के लिए समिति में निहित कर्त्तव्य, शक्ति एवं कार्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना में सन्निहित कर दिया गया है। साथ हीं सरकार द्वारा भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण से संबंधित स्थिति की जांच हेतु भूदान भूमि वितरण 'जांच आयोग' गठित किया गया हैं

उक्त परिपेक्ष्य में राजस्व पर्षद के द्वारा निर्णय लिया गया है कि

1. भूदान के जिला कार्यालय मंत्री सीधे जिला समाहर्त्ता के नियंत्रण में कार्य करेंगे।
2. भूदान के राजस्तरीय कार्यालय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे कर्मी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।
3. जिला पदाधिकारी समाहरणालय परिसर में जिला भूदान कार्यालय हेतु कमरा उपलब्ध करायेंगे।
4. जिला कार्यालय मंत्री जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये कमरे में भूदान से संबंधित सारे अभिलेख एवं अन्य विविध सामग्री ले जाकर समुचित संधारण करेंगे।
5. जिला कार्यालय मंत्री गठित आयोग को जांच हेतु उनके द्वारा मांग किये गये अभिलेख आदि उपलब्ध करायेंगे।
6. सभी जिला समाहर्त्ता अपने अधीनस्थ अपर समाहर्त्ता के द्वारा अपने जिला के भूदान यज्ञ कार्यालय का निरीक्षण कराते हुए विस्तृत प्रतिवेदन राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

राजस्व पर्षद के आदेशानुसार
हo/—
संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 1/स्थाo—54/2018— 1743 पटना, दिनांक : 25-07-2018

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, विधि विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार, राज्य/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य/सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार राज्य/ सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार राज्य/ राज्य कार्यालय मंत्री, पटना/सभी जिला के कार्यालय मंत्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।